



पत्रांक : लो०अ०वि०/सा०प्र०/2025 /635

दिनांक : 09 दिसम्बर, 2025

कार्यालय-आदेश

उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-26/2025/865/सैंतालिस-का-5-2025-(1838120) दिनांक 24.11.2025 एवं पत्र संख्या-2971/सत्तर-3-2025-1884032 दिनांक 04.12.2025 द्वारा राज्य के समस्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकृत राज्याधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों/उपक्रमों के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 31.12.2025 तक अर्जित समस्त चल-अचल सम्पत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दिनांक 31.01.2026 तक दर्ज किये जाने का निर्देश दिया गया है। वर्ष 2025 का विवरण प्रस्तुत करने की सुविधा दिनांक 01.01.2026 से क्रियाशील हो जायेगी।

उक्त पत्र के अनुसार:-"ऐसे कार्मिकों द्वारा जब तक अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, तब तक उनकी पदोन्नति के प्रकरण पर विचार नहीं किया जायेगा तथा ऐसे कार्मिकों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी"

अतः विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकगण/अधिकारीगण/कर्मचारीगण से अपेक्षा है कि वर्ष 2025 तक की चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दिनांक 01.01.2026 से 31.01.2026 तक मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करें। जिन शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों का मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं हुआ है, वे प्रशासनिक कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पंजीकरण करा लें।

(विनय कुमार सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विश्वविद्यालय के समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/प्रभारी, पुस्तकालयाध्यक्ष को सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी/अधिष्ठाता छात्र कल्याण/कुलानुशासक/वार्डन छात्रावास।
3. परीक्षा नियंत्रक/उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/प्रोग्रामर/सहायक अभियन्ता।
4. निजी सचिव, कुलपति को, कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
5. समस्त अनुभागों के प्रशासनिक अधिकारी/प्रधान सहायक/प्रभारी को विभाग के समस्त कार्मिकों को सूचित किये जाने हेतु।
6. पत्रावली।

(विनय कुमार सिंह)
कुलसचिव